

फैक्स/ई-मेल

पत्र संख्या-4/स्था०मु०-10-65/2010 गृ०आ०...../

बिहार सरकार गृह विभाग

प्रेषक,

राजीव रंजन सिन्हा
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
बिहार ।

पटना, दिनांक:- .../.../2013

विषय:- बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम-2011 के तहत प्राप्त मामलों का त्वरित क्रियान्वयन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी काफी संख्या में आवेदन निष्पादन हेतु लंबित है तथा दिनांक-18.09.2013 तक कुल 2521 वैसे आवेदन लंबित है जिनकी समय-सीमा समाप्त हो चुकी है। कुल 9 प्रतिशत आवेदनों का निस्तार समय-सीमा के पश्चात किया गया है। पश्चिम चम्पारण, सारण, भोजपुर एवं मुजफ्फरपुर में वैसे आवेदनों की संख्या ज्यादा है जिनकी समय-सीमा समाप्त हो चुकी है। समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि कुछ जिलों यथा मुजफ्फरपुर, खगड़िया, कैमूर, नवादा, मधुबनी, नौगछिया, अररिया, औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, मुंगेर एवं सीवान में वर्ष-2011 एवं वर्ष-2012 के आवेदन भी अभी तक लंबित है जो काफी चिन्ताजनक है।

अतः विषयांकित मामले के सफल एवं त्वरित कार्यान्वयन हेतु निम्न निदेश दिए जा रहे हैं ताकि लोक सेवाओं का अधिकार का सही लाभ आमजनों को उपलब्ध हो सके:-

1) नाम निर्दिष्ट लोक सेवक पदाधिकारी निर्धारित समय-सीमा समाप्त हो जाने वाले अनिष्पादित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर दो दिनों के अंदर निष्पादित किया जाए।

2) समय-सीमा के अंदर वाले अनिष्पादित आवेदनों को निर्धारित समय-सीमा के अंदर ही प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जाए।

3) विषयांकित कार्य से संबंधित डाटा को अधिकार सॉफ्टवेयर में प्रतिदिन प्रविष्ट कराना सुनिश्चित किया जाए तथा सभी प्रविष्ट डाटा एवं इसके निष्पादन की स्थिति को मिशन के सर्वर पर अचूक रूप से प्रतिदिन Synchronize कराया जाए ताकि आवेदक को वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति की सही जानकारी कभी भी प्राप्त हो सके।

4) पूर्णिया (8 प्रतिशत), बगहा (7 प्रतिशत), पश्चिम चम्पारण (6 प्रतिशत), पटना (5 प्रतिशत), भोजपुर (5 प्रतिशत) एवं भागलपुर (4 प्रतिशत) आदि जिलों में अधिक संख्या में आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है। इसकी सही समीक्षा की जाय एवं आवश्यक उपाय किए जाय ताकि अस्वीकृति कम से कम हो।

5) जिस पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आई0टी0 सहायक नहीं है वहाँ के जिलापदाधिकारी से समन्वय कर आई0टी0 सहायक की प्रतिनियुक्ति करायी जाय।

6) विषयांकित कार्य के लिए लिए जाने वाले शुल्क को समाप्त किया जा चुका है एवं आवेदन के साथ लिए जाने वाले दस्तावेजों की संख्या में भी कमी की गयी है, जिसकी सूचना आपको दी जा चुकी है। इसका अनुपालन एवं इसकी सूचना आमजनों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

7) नये चेकलिस्ट के अनुसार आवेदन पत्र का प्रारूप तैयार कर संलग्न किया जा रहा है। इसकी जानकारी आमजनों को दी जाय एवं इसी के अनुसार आवेदन लेना सुनिश्चित किया जाय।

8) अधिकार सॉफ्टवेयर में मात्र लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की ही प्रविष्टि किया जाना है इसे सुनिश्चित किया जाय।

अनुरोध है कि इस संबंध में कार्रवाई कर प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर गृह (आरक्षी) विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
अनु0-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-.....7146...../

पटना, दिनांक:-23...सितम्बर,2013

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, बिहार/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक,बिहार/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी(स्थापना), गृह (विशेष) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के अपर सचिव

लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आचरण-प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,

.....

स्व० ह०
अभिप्रमाणित किया
हुआ हाल का फोटो

विषय:- आचरण प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है, कि मुझे आचरण प्रमाण-पत्र की आवश्यकता.....
.....कार्य हेतु पड़ गया है।

मैं.....

पिता/पति.....

पता-ग्राम/मुहल्ला.....पोस्ट.....

थाना.....जिला.....

में करीब.....वर्षों से रहता हूँ/निवासी हूँ।

आवेदन पत्र के साथ मेरा हाल का स्व० ह० अभिप्रमाणित किया हुआ फोटो संलग्न है। मुझे श्रीमान् द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण-पत्र की सख्त आवश्यकता.....कार्य हेतु पड़ गया है।

घोषित करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी थाना या न्यायालय में कोई अपराधिक या दिवानी का मुकदमा लंबित नहीं है।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि आचरण प्रमाण-पत्र निर्गत करने की असीम कृपा की जाय। इसके लिए मैं श्रीमान् का सदा आभारी रहूँगा/रहूँगी।

स्थान:-.....

दिनांक:-.....

आपका विश्वासी

हस्ताक्षर

नाम:-

पिता/पति:-

ग्राम/मुहल्ला:-

पोस्ट:-

थाना:-

जिला:-